



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

**कादर नवाज़ ख़ान**

**Kadar Nawaz Khan**

कार्यकारी कुलसचिव/ Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2013/DA/01/2014/621

## कार्यालय आदेश

दिनांक: 07.03.2018

हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के पी-एच.डी. शोधार्थी श्री चेतन सिंह के विरुद्ध शारीरिक उत्पीड़न संबंधी प्राप्त शिकायत की गंभीरता एवं पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 1996 (1997 का 03) के परिनियम 29 (3) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री चेतन सिंह को विश्वविद्यालय से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन की अवधि में श्री चेतन सिंह का विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश निषिद्ध किया जाता है।

**कादर नवाज़**  
 (कादर नवाज़ ख़ान)

प्रति:

श्री चेतन सिंह  
 सुपुत्र श्री ईश्वर दयाल  
 मकान संख्या: 04, 80 गज के प्लॉट  
 रविदास मंदिर के पास, गांव मंडोली  
 दिल्ली-110093  
 मो. 9910606899

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. कुलानुशासक कार्यालय।
4. अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ।
5. विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग।
6. वित्त अधिकारी कार्यालय।
7. केंद्रीय पुस्तकालय।
8. सुरक्षा अधिकारी।
9. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. संबंधित फाइल।